	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 30, गुरूवार, शाके 1944-जुलाई 21, 2022 *Asadha 30, Thursday , Saka 1944- July 21, 2022*	

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 7, 2022

संख्या एफ.14(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985 :-औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा-2 एन (vi) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "ट्रासंपोर्ट अन्दर (अदर देन रेल्वेज) फॉर दी कैरिज ऑफ पैसेन्जर्स एण्ड गुडस बाई रोड" के कार्यो को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 06 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

पतंजलि भू,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त,
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।